न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.

प्र.सं. 03/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/13

मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह निवासी 5 केएसडी तहसील रायसिंहनगर

—अपीलार्थी

बनाम

उपजिला कलक्टर श्रीविजयनगर

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 17.11.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपील प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी द्वारा 24 घन्टे में प्रमाणित दस्तावेज चाहे थे। 50रू का पोस्टल ऑर्डर क्रमांक/94जी911813 का संलग्न किया था। दुगनी फीस भी देने को लिखा हैं। प्रार्थी के जीवन से जुड़ी हुई सूचनाएं आज दिनांक तक नहीं दी हैं। जिससे आरटीआई कानून को तोड़ा गया हैं। असद्भावना का कृत्य किया गया है। एस.डी.एम. महोदय भारती फूलफकर द्वारा अपराध किया है। इनके विरूद्ध सूचना का अधिकार व भारतीय दण्ड संहितानुसार कानूनी कार्यवाही करवाने का श्रम करने प्रार्थी को मानसिक एवं परिवार संबंधि खर्चा डाक खर्चा व अन्य प्रकार से समय व धन का नुकसान की भरपाई करवाने का श्रम करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक/ रीडर/ आरटीआई/13579 दिनांक 24.05.2023 के अनुसार श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी 5 केएसडी तहसील रायसिंहनगर द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 20.04.2023 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। श्री मुकन्द सिंह द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/रीडर/सूचना का अधिकार/2023/12422 दिनांक 03.05.2023 द्वारा जरिये डाक प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा उप जिला कलक्टर श्रीविजयनगर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर 11 बिन्दूओं पर सूचना 50 रू का पोस्टल ऑर्डर संलग्न करते हुए 24 घण्टे में सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया। इस पर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/सूचना का अधिकार/2023/ 13422 दिनांक 03.05.2023 के द्वारा आवेदक/अपीलार्थी को सूचना प्रेषित करते हुए आवेदक द्वारा वांछित सूचना क्र.सं. 1 व 3 की सूचनाएं पर व्यक्ति से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) अन्तर्गत प्रकटन से मुक्त होने के कारण उपलब्ध नहीं करवायी गयी हैं। बिन्दू सं. 2,4,6,9,10 [illegible] वांछित सूचना अस्पष्ट होने के कारण अपेक्षित सूचना दिया जाना [illegible] नहीं [illegible] सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी हैं। बिन्दू सं. 7 [illegible] के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करवायी हैं। [illegible] उपलब्ध नहीं करवायी गयी। बिन्दू सं. 5 की सूचना हेतु आवेदक को 2 रू [illegible] पृष्ठ की दर से भुगतान किये जाने पर सूचना उपलब्ध करवाए जाने हेतु आवेदक को सूचित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:48 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाते हुए सूचना नहीं दिए जाने का कारण उल्लखित किया गया हैं। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्रविजयनगर के द्वारा अधिकांशतः वांछित सूचनाएं पर व्यक्ति से

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

संबंधित होने तथा अपेक्षित सूचनाएं अस्पष्ट होने के कारण उपलब्ध नहीं करवायी गयी हैं। तथा बिन्दू सं. 5 की सूचना के क्रम में अपीलार्थी को प्रति पृष्ठ 2 रू राशि भुगतान करने पर सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु सूचित किया गया था। अतः यह नहीं माना जा सकता हैं कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी हैं। चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(3) के अनुसार जहां सूचना उपलब्ध करवाने की लागत के रूप में या किसी फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता हैं और लोक सूचना अधिकारी आवेदक को फीस जमा कराने के लिए संसूचना भेजता हैं तो संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को तीस दिवस की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन से अपवर्जित किया गया हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा आवेदन को उपलब्ध करवाई गयी सूचना में किसी प्रकार की भूल किया जाना प्रतीत नहीं होता हैं। न्यायालय उप जिला कलक्टर श्रीविजयनगर द्वारा अपीलार्थी/आवेदक के सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पर प्रस्तुत आवेदन पत्र पर किये गये विनिश्चिय से सहमत हैं। अपील खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.11.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:48 IST
Reason: SelfAttested